झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ल०सिं०–दु०–07 / 2009 .... / राँची, दिनांक : ....

आदेश

श्री कमल किशोर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 2886 दिनांक–28.05.2013 द्वारा सिविल सेवा, (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम– 55 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :–

(क) तेलोनारी तालाब प्रखण्ड बेंगाबाद के सॉफ्ट रॉक मद में 37.87% का अनियमित विचलन।

(ख) इस योजना के मिट्टी कार्य मद में रू० 3,49,357.00 का अत्याधिक एवं अनियमित भुगतान।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में किसी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में निहित निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री कमल किशोर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवानिृवत को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3456 राँची / दिनांक 02/7/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव(प्र०)जल संसाधन विभाग, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह / श्री कमल किशोर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह, सम्प्रति सेवानिवृति / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 01/07/2019

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव